

S.No. 4/1

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

S. No. PC-VIII/42
No. PC-V/2017/A/TA/1

RBE No. 96 /2017
New Delhi, dated 17/08/2017

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Subject: - Recommendations of the 7th Central Pay Commission - Grant of Transport Allowance to Railway employees.


In partial modification of Railway Board's letter of even number dated 03.08.2017 regarding recommendations of the 7th Central Pay Commission relating to grant of Transport Allowance to Railway employees, the President is pleased to decide that Railway employees who are drawing pay of Rs.24200/- & above in Pay Level 1 & 2 of the Pay Matrix, shall be eligible for grant of Transport Allowance @ Rs.3600 plus D.A. thereon at the cities mentioned in the Annexure to the above cited Board's letter and @ Rs.1800 plus D.A. thereon at all other places.

2. All other contents of the above cited Board's letter dated 03.08.2017 shall remain unchanged.
3. These orders shall be effective from 1st July, 2017.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. Hindi version will follow.

{MoF's OM No.21/5/2017-E.II(B), dt. 2nd August, 2017}

pl issue hi
D. Kumar
25/8/2017

C/L




(N.P.Singh)
Dy. Director, Pay Commission-V
Railway Board

No. PC-V/2017/A/TA/1

New Delhi, dated 17/08/2017

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi

अध्यक्ष	रेलवे बोर्ड
इसके	द्वारा जारी
अधिकारी	
सहस्र	
दिनांक	10/8
दिनांक	25/8



for Financial Commissioner, Railways

S No 5

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) /(RAILWAY BOARD)

क्र. सं.पीसी-VII 42
सं.पीसी-V/2017/ए/टीए/1

आरबीई सं. 96/2017
नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2017

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें- रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने से संबंधित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि वे रेलवे कर्मचारी जो पे मैट्रिक्स के पे लेवल 1 एवं 2 में 24,200/- रुपए एवं इससे अधिक वेतन ले रहे हैं, बोर्ड के ऊपर उल्लिखित पत्र के अनुलग्नक में उल्लिखित शहरों में 3600/- रुपए + उस पर महंगाई भत्ते की दर से तथा अन्य सभी शहरों में 1800/- रुपए + उस पर महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के पात्र होंगे।

2. बोर्ड के दिनांक 03.08.2017 के ऊपर उल्लिखित पत्र के अन्य सभी विषय अपरिवर्तित रहेंगे।
3. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

{वित्त मंत्रालय का दिनांक 2 अगस्त, 2017 का कार्यालय जापन सं. 21/5/2017-ई.॥(बी)}

(Handwritten Signature)
(एन. पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड

सं.पीसी-V/2017/ए/टीए/1

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2017

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक नई दिल्ली. को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

पि.डी.एस. कृपय जारी करें

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे.

सं.पीसी-V/2017/ए/टीए/1 04/9/2017

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:-

OIC

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ.
5. सेक्रेटरी, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स

